भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 490

(दिनांक 01.12.2021 को उत्तर के लिए)

"भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम"

490. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में कठोर प्रावधान शामिल करने हेतु संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि देश में निचले स्तर से उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भ्रष्टाचार में संलिप्त नगर निगम अधिकारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 (सी) के प्रावधानों में पहले से ही सभी स्तरों के लोकसेवकों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन कर इन्हें और ज्यादा सख्त बनाया गया है।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष, दिनांक 31 अक्तूबर, 2021 तक के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन हेतु मंजूरी का राज्य-वार ब्यौरा इसके साथ संलग्न है।

<u>दिनांक 01.12.2021 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 490 के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तर का संलग्नक</u>

वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 [31.10.2021 तक] के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से पीसी अधिनियम के तहत प्राप्त अभियोजन हेतु मंजूरी (एसओपी)

राज्य सरकार का नाम	2018		2019		2020		2021 [31.10.2021 तक]	
	मामले	एसओपी	मामले	एसओपी	मामले	एसओपी	मामले	एसओपी
आंध्र प्रदेश	2	11	1	1	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	2	10	0	0	0	0	0	0
बिहार	3	3	11	17	7	13	3	4
चंडीगढ़	1	2	0	0	0	0	0	0
गोवा	1	1	1	1	0	0	0	0
हरियाणा	1	1	0	0	2	4	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	1	1	7	1	1	1	1
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	2	3
झारखंड	0	0	2	6	0	0	1	2
कर्नाटक	1	1	0	0	2	5	1	2
मध्य प्रदेश	1	2	1	3	1	2	2	5
मेघालय	0	0	0	0	1	3	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	1	2	0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	10	13	13	15	8	12	5	8
पंजाब	1	6	0	0	1	2	1	1
राजस्थान	0	0	1	1	0	0	1	1
तमिलनाडु	0	0	0	0	5	8	1	1
तेलंगाना	0	0	0	0	1	5	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	1	1	0	0
उत्तर प्रदेश	4	7	20	50	8	37	11	29
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	1	1
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	5
कुल	28	58	51	101	39	95	31	63

* कुछ मामलों में, विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी विभिन्न वर्षों में प्राप्त हुई।

*****